



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
केम्प जिला भोपाल (म.प्र.)

प्र. क्रं. नि 4242 पी /14

2557-PBR-15

रामस्वरूप, राकेश आत्मत श्री अमर चंद्र
महेश आ. लखन लाल
राजेन्द्र प्रसाद आ. कैलाश
सभी आयु व्यस्क
निवासी- ग्राम बगरोदा
तहसील हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

देवकरण आत्मज श्री बिहारीलाल
आयु व्यस्क
निवासी ग्राम बगरोदा
तहसील हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)

महर्षि शिक्षा संस्थान
द्वारा मनीष आ. सुभाष
निवासी महर्षि सेन्टर फार एजुकेशन एक्सलेन्स
लाबा खेडा तहसील हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

आवेदन अंतर्गत धारा 35 (3) भू राजस्व संहिता 1959।

आवेदक की ओर से निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कि थी जो दिनांक 28/07/2015 को सुवाई के लिये नियत थी तथा प्र. क्रं. नि 4242 पी /14 पर दर्ज थीं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित हो के कारण गुण दोशो के विना निरस्त कर दी गई जिसको पुन्हा सुनवाई पर लेने के लिये आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है।

आवेदक के आक्षेप

Om



22.9.2015

21/9/15

रिपोर्ट

आवेदक की ओर से श्री
वीकरा यादव अभिभाषक उपस्थित
रुक (जुने गये) अनुवाधिकारी का
कारण समाधान-कारक होने से
मूक प्रकण पुनर्स्थापित किया
जाता है। इस प्रकण में
कोई कार्रवाही शक नहीं होने
से समाप्त किया जाता है।

जे

अध्यक्ष

अध्यक्ष